रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-01102025-266598
CG-WB-E-01102025-266598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4371] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 4371] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 1 अक्तूबर, 2025

का. आ. 4496(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989,(रेलवे (संशोधित) अधिनियम,2008 के अनुसार संशोधित) की धारा 2 के खण्ड (**7ए**) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के काँलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के काँलम (4)-मे वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में **सक्षम प्रधिकारी** के रूप में कार्य-निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तालिका के ही काँलम (3)-मे वर्णित राज्य में कार्य -निष्पादण ,अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा ।

तालिका

क्रमांक	**सक्षम प्रधिकारी**	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, बांका	बिहार	बांका जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “सुल्तानगंज-कटोरिया वाया असरगंज, तारापुर और बेलहर नई लाइन ”।

2.	जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, मुंगेर	बिहार	मुंगेर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "सुल्तानगंज-कटोरिया वाया असरगंज, तारापुर और बेलहर नई लाइन "।
3.	जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, भागलपुर	बिहार	भागलपुर जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "सुल्तानगंज-कटोरिया वाया असरगंज, तारापुर और बेलहर नई लाइन "।

[फा. सं. मु. प्र. अ./जि./ भू./326]

पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 1st October, 2025

S.O. 4496(E).— In exercise of the powers conferred by clause (**7A**) of Section 2 of the Railways Act,1989,(as amended vide the Railway (Amendment) Act,2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column(4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table , with effect from from the date of publication of this notification in the Official Gazette,

TABLE

Serial Number	**Competent Authority**	State	Name of Railway Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	District Land Acquisition Officer Banka	Bihar	"**Sultanganj-Katuria via Asarganj, Tarapur & Belhar New Line"** as special railway project , for land acquisition in the District of Banka
2.	District Land Acquisition Officer Munger	Bihar	"**Sultanganj-Katuria via Asarganj, Tarapur & Belhar New Line"** as special railway project , for land acquisition in the District of Munger
3.	District Land Acquisition Officer Bhagalpur	Bihar	"**Sultanganj-Katuria via Asarganj, Tarapur & Belhar New Line"** as special railway project , for land acquisition in the District of Bhagalpur

[F. No. CAO/Con/L/326]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.01 21:48:06 +05'30'